

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 653]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 28 दिसम्बर 2022—पौष 7, शक 1944

## परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2022

क्र. एफ 22-05-2022-आठ.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 65, 95, 96 एवं 211 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994, जो उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गए अनुसार मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जुलाई, 2022 में पूर्व में प्रकाशित किए जा चुके हैं, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

## संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 116-क में, उपनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“परंतु ग्रामीण परिवहन नीति-2022 के पायलेट प्रोजेक्ट के अधीन संचालित ग्रामीण लोक सेवा यानों की बैठक क्षमता 7+1 से 20+1 होगी.”

2. नियम 145 में, सारणी के अनुक्रमांक 13 में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“परंतु ग्रामीण परिवहन नीति-2022 के पायलेट प्रोजेक्ट हेतु ग्रामीण लोक सेवा यानों के अनुज्ञापत्रों के आवेदन के संबंध में कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगी.”

No. F. 22-05-2022-VIII.—In exercise of the powers conferred by Section 65, 95, 96 and 211 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Motor Vehicles Rules, 1994, the Same having been previously published in the Madhya Pradesh Gazette dated 25<sup>th</sup> July, 2022 as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act, namely:—

#### AMENDMENTS

In the said rules,—

1. In rule 116-A, after sub-rule (3), the following proviso shall be inserted, namely:—  
“Provided that the seating capacity of rural public service vehicles operated under the pilot project of Rural Transport Policy-2022 will be from 7+1 to 20+1”.
2. In rule 145, in serial number 13 of the table, the following proviso shall be inserted, namely:—  
“Provided that no fee shall be charged in respect of the application of permits for rural public service vehicles for the pilot project of Rural Transport Policy-2022.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
श्वेता पवार, उपसचिव.